सुखन राउत और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

नवंबर 28, 2001

[आर. पी. सेठी और वाई. के. सभरवाल, न्यायमूर्तिगण]

दांडिक विधि:

भारतीय दंड विधान, 1860-धाराएं 149, 34, 302, 147 और 148-सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में विधिविरुद्ध जमाव द्वारा अपराध का किया जाना-दायित्व-विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा मृतक और अन्य को बलपूर्वक बेदखल करने के सामान्य उद्देश्य के अनुसार की गई हत्या-ऐसे सदस्यों को हत्या करने का सामान्य उद्देश्य रखने वाला नहीं कहा जा सकता।

सामान्य उद्देश्य, सामान्य इरादा - के बीच अंतर।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक अपने एक साथी 'एच' के साथ जमीन जोत रहा था, जब अपीलकर्ता सं. 1 सहित आरोपी अपीलकर्ता हथियारों से लैस होकर मौके पर आए और जमीन जोतना शुरू कर दिया। 'एच' ने विरोध किया और अपीलकर्ता सं. 1 के निर्देश पर, एक 'बी' ने मृतक के सिर पर वार किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 'बी' सहित अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 और साथ ही धारा 148, 147 और 323 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने आदेश की पुष्टि की। इसलिए यह वर्तमान अपील है।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि सामान्य उद्देश्य केवल मृतक और अन्य को बलपूर्वक बेदखल करने के संबंध में था न कि हत्या करने के लिए।

उत्तरदाता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि हत्या मृतक को बेदखल करने के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि अपीलकर्ताओं को हत्या के अंतिम अपराध की जानकारी थी।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित किया : 1. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी बनाती है जहाँ यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किया गया है जिसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य जानते थे कि ऐसा अपराध विधिविरुद्ध जमाव के उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना थी। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य था, तो यह आवश्यक नहीं है कि विधिविरुद्ध जमाव बनाने वाले सभी व्यक्तियों को ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के एक सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व वहन करने के उद्देश्य से कुछ प्रत्यक्ष कार्य करते हुए दिखाया जाना चाहिए। [362- एफ- एच]

2. अपीलकर्ता सं. 1 द्वारा 'बी' को मृतक को वार करने के लिए उकसाया जाना सिद्ध होता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। यह बिना किसी संदेह के स्थापित होता है कि अपीलकर्ता सं. 1 और 'बी' ने सामान्य आशय साझा किया, हालांकि सामान्य उद्देश्य नहीं, उस समय जब मृतक के सिर पर वार किया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता सं. 1 संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। [364- ई; एफ]

3. अपीलकर्ता सं. 1 द्वारा उकसाए जाने पर 'बी' ने मृतक के शरीर पर चोट पहुंचाई, इसके बावजूद कि विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्य कथित तौर पर लाठी जैसे हथियारों से लैस थे। जब, वार लगने के बाद मृतक दक्षिण की ओर भागने लगा, तब भी विधिविरुद्ध

जमाव के किसी भी सदस्य ने उसे रोका नहीं या किसी अन्य तरीके से अपीलकर्ता सं. 1 के आदेश पर 'बी' द्वारा की गई हत्या के अपराध को अंजाम देने में सहायता नहीं की। अपीलकर्ताओं में से एक पर मृतक की छाती पर पत्थर फेंकने का आरोप है, लेकिन मृतक के शरीर पर मिले ज़ख्मों से यह आरोप झूठा साबित होता है। इसलिए, अपराध के समय की परिस्थितियों को देखते हुए यह मानने का कोई आधार नहीं है कि गैरकानूनी सभा के सदस्यों का मृतक की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य आपराधिक अतिक्रमण करने के सामान्य उद्देश्य को पूरा करना था। साथ ही, अभियोजन पक्ष द्वारा इसे उचित संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए हैं। इसलिए, अन्य अपीलकर्ताओं को केवल संहिता की धारा 147, 148, 323 और धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है और उन्हें पहले से भुगती गई कारावास की सजा सुनाई जाती है।

[363- एफ; जी; एच; 364- ए; सी; डी; जी; एच]

दांडिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2000 की दांडिक अपील संख्या 135।

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 23.4.99 के दांडिक अपील सं. 511 और 518 सन् 1986 के निर्णय और आदेश से।

पी. एस. मिश्रा, विष्णु शर्मा, चंद्रशेखर सिंह, उपेंद्र मिश्रा, तथागत हर्षवर्धन, देब प्रसाद मुखर्जी अपीलकर्ताओं के लिए।

साकेत सिंह, डी.बी. सिंह उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय

सेठी, न्यायमूर्ति: अपीलकर्ताओं को एक भैया मणी राउत उर्फ़ बाबू मुनि राउत के साथ भारतीय दंड संहिता (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें

संहिता की धारा 148, 147 और 323 के तहत भी दोषी ठहराया गया, लेकिन उनके विरुद्ध कोई अलग सजा नहीं दी गई। दोषियों द्वारा दायर की गई अपीलों को इस अपील में आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

भैया मणी राउत द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 6.9.1999 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया था।

अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.एस. मिश्रा ने प्रस्तुत किया है कि संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 के तहत उन्हें दोषी ठहराने के लिए अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं था। यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कथित और सिद्ध सामान्य उद्देश्य केवल मृतक और अन्य को बलपूर्वक बेदखल करने के संबंध में था न कि हत्या के अंतिम अपराध के लिए। अधिवक्ता के अनुसार, अपीलकर्ताओं को अधिकतम उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और सजा सुनाई जा सकती है। इसके विपरीत यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि हत्या मृतक को बेदखल करने के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में की गई थी, इसलिए यह अनुमान लगाना होगा कि अपीलकर्ता उस अंतिम अपराध, हत्या, के बारे में जानते थे जिसके होने की संभावना थी जिसके लिए वे एक साथ शामिल हुए थे। चूंकि हत्या मृतक को बलपूर्वक बेदखल करने के सामान्य उद्देश्य का परिणाम थी, यह माना जाता है कि अपीलकर्ताओं को अंतिम अपराध के घटित होने की जानकारी थी।

प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए मामले के तथ्यों को नोट करना आवश्यक है जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की हत्या और कुछ अभियोजन साक्षी सहित अन्य को चोटें आईं। अभियोजन के अनुसार घटना 21 जुलाई, 1981 को रात लगभग 8 बजे हुई, जब सरदारी राउत और हाकिम राउत भूखंड सं. 369 वाली जमीन जोत रहे थे। सभी अभियुक्त व्यक्ति हथियारों से लैस होकर दो जोड़ी बैल के साथ घटनास्थल पर आए और सरदारी राउत

के कब्जे वाले जमीन को जोतना शुरू कर दिया। जब हाकिम राउत ने अपीलकर्ताओं की कार्रवाई का विरोध किया, तो उसे गाली दी गई और धमकी दी गई। तारणी राउत (अभियोजन साक्षी 3) ने सत नारायण (अभियोजन साक्षी 5) को सरपंच को बुलाने के लिए कहा और हरे कृष्ण राउत (अभियोजन साक्षी 9) को पुलिस को सूचित करने का निर्देश दिया। इस समय कुदाल और लाठी से लैस अपीलकर्ता सुखन राउत ने भैया मणी राउत को सरदारी राउत पर हमला करने का निर्देश दिया। भैया मणी राउत ने सरदारी राउत के सिर पर टांगी का वार किया जो दक्षिण की ओर भागने लगा लेकिन पास के जमीन में गिर गया जिसके बाद दीवान राउत ने सरदारी राउत की छाती पर लगभग 4 किलोग्राम का एक पत्थर फेंक दिया जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। बाल कृष्णन राउत (अभियोजन साक्षी 1), हाकिम राउत (अभियोजन साक्षी 8), तारणी राउत (अभियोजन साक्षी 3) पर अपीलकर्ताओं द्वारा हमला किया गया और चोटें पहुंचाई गईं। अपराध किए जाने के बाद सभी अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्राथमिकी) हरे कृष्ण राउत (अभियोजन साक्षी 9) द्वारा सरवां थाना में दर्ज कराई गई थी जिसे 1981 का प्राथमिकी सं. 54 के रूप में पंजीकृत किया गया। अनुसंधान के बाद, सभी अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 12 साक्षियों की जांच की।

अपीलकर्ताओं ने दोषी न होने का निवेदन किया और कहा कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया था और घटना अभियोजन पक्ष द्वारा कथित तरीके से नहीं हुई थी। उनके अनुसार, जिस भूमि पर घटना हुई वह उनके कब्जे में थी और मृतक और अभियोजन साक्षी हमलावर थे। कथित रूप से हुई खुली लड़ाई में, कुछ अभियुक्त-अपीलकर्ताओं को भी चोटें लगी थीं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया और उनकी अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी।

संहिता की धारा 149 विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी बनाती है जहाँ यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किया गया है जिसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य जानते थे कि ऐसा अपराध विधिविरुद्ध जमाव के उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना थी। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य था, तो यह आवश्यक नहीं है कि विधिविरुद्ध जमाव बनाने वाले सभी व्यक्तियों को ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के एक सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए प्रतिनिधिक दायित्व वहन करने के उद्देश्य से कुछ प्रत्यक्ष कार्य करते हुए दिखाया जाना चाहिए। इस धारा के तहत, घटना की निरंतरता के दौरान किए गए अपराध के लिए विधिविरुद्ध जमाव के अन्य सदस्य का दायित्व इस तथ्य पर निर्भर करता है कि क्या अन्य सदस्य पहले से जानते थे कि वास्तव में किया गया अपराध सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना थी। सामान्य उद्देश्य को सामान्य आशय से अलग पहचाना जाना है। संहिता की धारा 149 में सामान्य इरादे का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जहाँ मृतक को जान से मारने के सामान्य उद्देश्य से कोई चोट नहीं पहुँचाई गई हो, बल्कि केवल गवाहों में से किसी एक द्वारा उकसाए जाने पर पहुँचाई गई हो, वहाँ विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को हत्या के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

तत्काल मामले में अभियोजन पक्ष ने एक सामान्य उद्देश्य का आरोप लगाया जिसे विचारण न्यायालय ने सिद्ध माना था: "अब अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से यह पर्याप्त रूप से स्थापित होता है कि अभियुक्त व्यक्ति हमलावर थे और बलपूर्वक भूमि पर कब्जा करने के लिए सूचक और उसके परिवार के सदस्यों के जमीन में गए थे। अतः यह स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्ति ने एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य आपराधिक अतिक्रमण करना और आपराधिक बल के माध्यम से सूचक की भूमि पर कब्जा करना था। हालांकि, विचारण न्यायालय ने माना कि:

"परिस्थितियों और आचरण से यह भी स्पष्ट है कि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को यह ज्ञात था कि हत्या उक्त सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में की जाएगी और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में ही सरदारी राउत की हत्या बाबू मणि उर्फ भैया मुनि राउत द्वारा की गई, जो विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य था।"

उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि विधिविरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य सूचक और उसके परिवार के सदस्यों की जमीन पर जबरन कब्जा करना था।

अपीलकर्ताओं के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय के इस मत को मानने का कोई आधार नहीं था कि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य जानते थे कि आपराधिक अतिक्रमण करने के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में हत्या होने की संभावना थी। हमें अधिवक्ता के इस तर्क में सार मिलता है। यह स्वीकार किया जाता है कि भैया मणी राउत को छोड़कर विधिविरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य ने मृतक के शरीर पर कोई चोट नहीं पहुंचाई, इसके बावजूद कि वे कथित तौर पर लाठी जैसे हथियारों से लैस थे। यह भी विवादित नहीं है कि जब, टांगी का वार लगने के बाद मृतक दक्षिण की ओर भागने लगा, तो विधिविरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य ने उसे रोका नहीं या किसी अन्य तरीके से सुखन राउत के आदेश पर भैया मणी राउत द्वारा की गई हत्या के अपराध की सिद्धि को सुगम नहीं बनाया। दीवान राउत द्वारा मृतक की छाती पर पत्थर फेंकने की बात कही गई है, लेकिन ऐसा आरोप मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों से झूठा साबित होता है। शवपरिक्षण में मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

"(i) खोपड़ी के अगले क्षेत्र पर 2" x 3/4" हड्डी तक गहरा एक चीरा घाव जो अगली हड्डी के दरार अस्थिभंग के साथ था।

(ii) टखने के पास बाएं पैर पर 1/4" x 1/4" एक खरोंच।"

शवपरीक्षा के समय छाती पर कोई चोट नहीं देखी गई। चोट सं. 2, बाएं पैर पर टखने के पास एक खरोंच का श्रेय अपीलकर्ता दीवान को नहीं दिया जा सकता है। अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जो उचित संदेह से परे सिद्ध कर सकें कि सभी अपीलकर्ताओं का हत्या का अपराध करने का सामान्य उद्देश्य था। अपराध किए जाने के समय की उपस्थित परिस्थितियाँ यह संकेत नहीं देती हैं कि सभी अभियुक्तों का सरदारी राउत की हत्या करने का सामान्य उद्देश्य था।

हालांकि, अपीलकर्ता सुखन राउल की स्थिति अलग है। यह सिद्ध हो चुका है कि उसने भैया मणि राउत को मृतक को टांगी से चोट पहुँचाने के लिए उकसाया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि उद्देश्य एक समान नहीं था, फिर भी सुखन राउत के विरुद्ध एक समान इरादा सिद्ध हो चुका है। यह बिना किसी संदेह के स्थापित हो चुका है कि सुखन राउत और भैया मणि राउत का एक समान इरादा था, जिसके परिणामस्वरूप सरदारी राउत के सिर पर चोट पहुँचाई गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए सुखन राउत संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी है।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया है कि अन्य सभी अपीलकर्ताओं को संहिता की धारा 147, 148 और 323 के साथ पठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। उपरोक्त सभी आरोपी उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने योग्य हैं। बताया जाता है कि उन्हें एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास भुगतना पड़ा है। न्याय के हित में यह उचित होगा कि उन्हें उनके द्वारा पहले से भुगते गए कारावास की सजा दी जाए।

तदनुसार, सुखन राउत को संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराते हुए अपील का निपटारा किया जाता है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई

जाती है। अन्य अपीलकर्ताओं, अर्थात् सत्टन राउत, जितेंद्र राउत, उमेश राउत, बिनोद राउत, देवेन राउत उर्फ़ देब नारायण राउत, भुनेश्वर राउत और सुचित राउल को संहिता की धारा 147, 148, 323 के साथ पठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है और उन्हें पहले से भुगते गए कारावास की सजा सुनाई जाती है।

एन.जे. अपील का निपटारा किया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।